UPEW010015462026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट संख्या– 1, इटावा।

उपस्थित : अखिलेश कुमार (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O. Code :UP6281

द्वितीय प्रतिभू प्रार्थनापत्र संख्या–464/2026

कल्यान सिंह, उम्र 40 वर्ष, पुत्र ग्याप्रसाद, निवासी–नगला नन्दन बकेवर, थाना–बकेवर जनपद इटावा।

...........आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र०राज्य

...........अभियोजन।

मुकदमा अपराध सं.–307/2025
धारा–318(4),336(3),338,351(3), 352 बी.एन.एस.।
थाना–बकेवर, जिला इटावा।

1. आवेदक/अभियुक्त कल्यान सिंह की ओर से मुकदमा अपराध सं.–307/2025, धारा– 318(4),336(3),338,351(3),352 बी.एन.एस., थाना–बकेवर, जिला इटावा के मामले में उसे प्रतिभू पर निर्मुक्त किये जाने हेतु द्वितीय ज़मानत आवेदन पत्र प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र के नॉट प्रेस किये जाने पर प्रस्तुत किया गया है।

2. ज़मानत प्रार्थना पत्र के साथ श्रीकृष्ण का शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह द्वितीय ज़मानत प्रार्थना पत्र है। उक्त प्रार्थना पत्र के अलावा कोई भी प्रतिभू प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय में न तो दिया गया है और न ही खारिज हुआ है।

3. संक्षेप में वादिनी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के कथन इस प्रकार है कि प्रार्थिनी प्रियंका पत्नी सुरेश कुमार नगला नन्दन पोस्ट व मौजा पृथ्वीरामपुर थाना बकेवर तहसील व परगना भरथना जनपद–इटावा की निवासिनी है। प्रार्थिनी द्वारा अपने गांव के कल्यान सिंह पुत्र ग्या प्रसाद निवासी नगला नन्दन पोस्ट व मौजा पृथ्वीरामपुर थाना बकेवर तहसील व परगना भरथना जनपद इटावा जो गाँव के ही है, जिनका एक आवासीय प्लाट है, जिस पर वो अपने पूर्वजों से मालिक काबिज दखील चले आ रहे है, जिसकी पैमाइश पूरब पश्चिम 90 फीट उत्तर दक्षिण 16 फीट कुल क्षेत्रफल 1440 वर्गफीट। जिसमें पूरब में 40 फीट पश्चिम में मकान बलराम आदि उत्तर में मकान क्रेता व शिवराज सिंह आदि एंव दक्षिण में मकान रमेश स्थित है। प्रार्थिनी ने उक्त आवासीय प्लाट के मालिक कल्यान सिंह से 1,50,000/–रूपये में क्रय किया था। जिसकी रजिस्ट्री उप निबन्धक भरथना जनपद–इटावा के यहाँ दिनांक 20.07.2024 को करायी थी। जिसमें 50,000/–रूपया पूर्व में पेशगी के रूप में नगद दिये थे तथा बैनामा के

Digitally signed by AKHILESH KUMAR
Date: 2026.03.18 15:41:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

समय 100,000/की चैक सं0 41438 एसबीआई बैंक शाखा बकेवर जनपद इटावा की दिया था। जिसका इन्द्राज बही नं० जिल्द सा–6389 के पृष्ठ–301 से 316 तक क्रमांक–4830 पर दिनांक 20.07.2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया। बैनामा के उपरान्त कल्यान सिंह ने क्रयशुदा आवासीय प्लाट का कब्जा दखल करा दिया था, तभी से उक्त आवासीय प्लाट पर प्रार्थिनी मालिक काबिज दखील चली आ रही है। प्रार्थिनी द्वारा क्रयशुदा प्लॉट पर दिनाँक 15.08.2024 को निर्माण कार्य कराया जा रहा था, तभी विपक्षीगण द्वारा समय करीब 9:45 बजे सुबह निर्माण कार्य को रोकने लगे और झगडा–फसाद कर धमकी देने लगे और सामान उठा ले गये और गुड्डी देवी पत्नी बृजेन्द्र कुमार ने कहा कि उक्त प्लॉट मैंने कल्यान सिंह पुत्र ग्याप्रसाद से दिनांक 06.08.2024 को दानपत्र बैनामा कराकर प्राप्त किया है। उक्त दानपत्र के अभिलेख बृजेन्द्र कुमार पुत्र गंगा सिह, कल्यान सिंह पुत्र ग्याप्रसाद, महेन्द्र सिंह पुत्र गंगा सिंह, पंकज पुत्र कायम सिंह ने आपस में साजिश करके साजिशन कूटरचित फर्जी अभिलेख तैयार कराये गये है, क्योंकि उक्त आवासीय प्लॉट कल्यान सिंह पुत्र ग्या प्रसाद दिनांक 20.07.2024 को विक्रय कर चुका है। कल्यान सिह ने उसी आवासीय प्लॉट का विपक्षीगण से मिलकर फर्जी अभिलेख तैयार कराये गये हैं। जो कानून के विरूद्ध हैं, जिसकी शिकायत थाना बकेवर में दिनांक 15.08.2024 को तथा क्षेत्राधिकारी महोदय भरथना को दिनांक 23.08.2024 को दिया गया था, परन्तु रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। तब प्रार्थिनी ने दिनांक–28.08.2024 को एक प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय इटावा को दिया, परन्तु उस पर भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी। इस कारण प्रार्थिनी श्रीमान जी को यह प्रार्थना पत्र दे रही है। अतः उपरोक्त के आधार पर प्रार्थिनी का मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना किये जाने हेतु थानाध्यक्ष बकेवर, इटावा को आदेशित करने की याचना की गयी।

4. आवेदक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी को उक्त मुकदमे में झूठा व गलत फंसाया गया है। प्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है, प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी बिना पढ़ालिखा व्यक्ति है, जिसको कानूनी कागजों की परख नही है व प्रार्थी द्वारा जिस जगह का बैनामा किया गया है, उस बैनामा में जितने क्षेत्रफल का इन्द्राज वादिया द्वारा उपनिबन्धक से सांठ–गांठ कर 1440 वर्ग फीट का दिया गया, परन्तु प्रार्थी द्वारा वादिया को मात्र 440 वर्ग फीट का बैनामा कराने की बात हुई थी, क्योंकि वह प्रार्थी का आवासीय प्लॉट का छोटा–सा भाग है। प्रार्थी को कभी कोई चैक नही मिला और न ही उसके द्वारा कभी चैक को बैंक से भुगतान किया गया है और न ही चैक पर प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षर बनाये गये है। प्रार्थी द्वारा जिस मकान का दानपत्र किया गया है, आवासीय मकान है और वह मकान एक मंजिल का बना हुआ है। वह मकान करीब 50 वर्ष पुराना है। वादिया द्वारा दूषित मानसिकता होने के कारण प्रार्थी के आवासीय मकान पर कब्जा करना चाहती है। प्रार्थी की वादिया की दूषित मानसिकता होने पर ही अपने ताऊ की बहू के नाम दानपत्र कर दिया था, जिसकी सूचना वादिया को जैसे ही हुई, वह आगबबूला हो गयी और प्रार्थी पर दबाव बनाने लगी। वादिया के आवास प्लॉट की मालियत 409000 व स्टॉम्प ड्यूटी 16310 व वादिया वाले प्लॉट में किसी भी तरह का कोई पेड़, पौधा व कुंआ नही है व रास्ता 3 मीटर चौड़ा होना बताया है। प्रार्थी जिस आवासीय मकान का दानपत्र किया है, उसकी मालियत 887000 व स्टॉम्प ड्यूटी 35500 है व उस आवासीय मकान के भाग में 4 वर्ष पुराना जामुन का पेड़ का होना पाया है व उसका रास्ता 4 फीट चौड़ा होना बताया है, इससे भी दोनों आवासीय प्लॉट व आवासीय मकान अलग–अलग है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से अंकित करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नही है। जनता का कोई गवाह प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नही है। प्रार्थी दिनांक 09.02.2026 से जिला कारागार इटावा में निरुद्ध है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नही है। आवेदक जमानत देने को तैयार है। आवेदक जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ज़मानत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित आधारों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क किये गये कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त की जमानत स्वीकार किये जाने का कथन किया गया है ।

6. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दण्ड द्वारा द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है तथा अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त करने की याचना की गयी है।

7. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया एवं पत्रावली तथा थाने की आख्या का अवलोकन किया गया।

8. पत्रावली व अन्य प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि वादिनी मुकदमा द्वारा आवेदक को अन्य सह–अभियुक्त के साथ प्राथमिकी में नामित किया गया है। अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक व अन्य सह–अभियुक्त के विरुद्ध यह अभिकथन किया गया है कि उन्होंने वादी मुकदमा के पक्ष में विक्रीत प्लॉट के कुछ भाग का दानपत्र सह–अभियुक्त गुड्डी देवी के पक्ष में दिनांक 06.08.2024 को करना बताया है। आवेदक का यह कहना कि उन्हें एक लाख रुपए प्राप्त नही हुए है, इस सम्बंध में वादिनी मुकदमा की ओर से फर्द सबूत से प्रपत्र दाखिल किये है, जिसके परिशीलन से स्पष्ट है कि चैक सं० 41438 जो कल्यान सिंह के नाम एक लाख रुपए धनराशि के सम्बंध में है, का भुगतान वादिनी मुकदमा के पति सुरेश कुमार के अकाउण्ट से दिनांक 02.08.2024 को हुआ है। चूँकि अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में विक्रय की गयी भूमि का पुनः सह–अभियुक्त के साथ षड़यंत्र कर दानपत्र किये जाने का गंभीर आरोप लगाया गया है।

9. ऐसी स्थिति में आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाता हूँ, तदनुसार उक्त प्रश्नगत आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **कल्यान सिंह** की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–464/2026, मुकदमा अपराध सं.–307/2025, धारा–318(4), 336(3),338,351(3),352 बी.एन.एस., थाना–बकेवर, जिला इटावा निरस्त किया जाता है।

दिनांक–18.03.2026

(अखिलेश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–1, इटावा।
J.O. Code :UP6281